रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2013/आषाढ़ 28, 1935
No. 158] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2013/ASADHA 28, 1935

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**
**(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)**
**अधिसूचना**
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2013
**जांच की शुरूआत**
**(प्रथम निर्णायक समीक्षा)**

**विषयः चीन जन.गण. , हांगकांग और चीनी ताइपेई से डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क–रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर तथा डीवीडी–आर डब्ल्यू) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत ।**

**सं. 15/10/2013– डी जी ए डी :–** वर्ष 1995 में और तत्पश्चात यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण., हांगकांग और चीनी ताइपेई (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित " **डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क–रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर तथा डीवीडी–आर डब्ल्यू** " (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी ।

2. यतः प्राधिकारी द्वारा 20 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं0 14/17/2007–डी जी ए डी के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में मूल जांच शुरू की गई थी । प्राधिकारी द्वारा 16 जून, 2008 की अधिसूचना सं0 14/17/2007–डी जी ए डी के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और प्राधिकारी द्वारा 23 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं0 89/2008–सी.शु. के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए 19 नवंबर, 2008 की अधिसूचना सं0 14/17/2007–डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी । अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर 22 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं0 8/2009–सी.शु. के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

3. यतः मोजरवेयर इंडिया लि0 ने चीन जन.गण., हांगकांग और चीनी ताइपेई के मूल की और वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पुष्टिकृत आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसकी राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ।

**घरेलू उद्योग**

4. निर्णायक समीक्षा हेतु यह आवेदन मोजरवेयर इंडिया लि0 द्वारा दायर किया गया है । इस समीक्षा याचिका को अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों अर्थात यूनोमल्टीविजन लि0 और जुपिटर इंटरनेशनल लि0 का समर्थन प्राप्त है । उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता और समर्थकों का उत्पादन संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए वे नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं ।

**विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

5. मूल जांच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण., हांगकांग और चीनी ताइपेई के मूल की या वहां से निर्यातित ''डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क–रिकॉर्डेबल (डीवीडी–आर तथा डीवीडी–आरडब्ल्यू)'' है । वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण इस जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद सम्मिलित है ।

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार की ''रिकार्डेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (डीवीडी)'' है । डीवीडी कई प्रकार की हो सकती है अर्थात डीवीडी–आर, डीवीडी + आर, डीवीडी–आरडब्ल्यू, डीवीडी + आर डब्ल्यू, मिनी डीवीडी–आर, मिनी डीवीडी–आर डब्ल्यू । किसी डीवीडी को एक बार या कई बार रिकॉर्ड किया जा सकता है । डीवीडी–आर और डी वी डी + आर डिस्क इकतरफा या दोतरफा हो सकती है । इकतरफा (एस एस) डिस्क में एक रिकॉर्डिंग वाली तरफ तथा एक डमी तरफ होती है जबकि दुतरफा (डी एस) डिस्क में दो रिकॉर्डिंग तरफें होती हैं । डीवीडी–आर और डीवीडी + आर की रिकॉर्डिंग तरफ कई परतों की सेंडविच होती है । संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय–85 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

**निर्णायक समीक्षा की शुरूआत**

7. यतः दायर किए गए विधिवत पुष्टिकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में लागू शुल्क को निरंतर जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं ।

**शामिल देश**

8. इस जांच में शामिल देश चीन जन गण हांगकांग और चीनी ताइपेई हैं ।

**जांच की अवधि**

9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 (12 माह) की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 और जांच अवधि शामिल होगी ।

**प्रकिया**

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में 19 नवंबर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/17/2007–डी जी ए डी के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं ।

11. इस समीक्षा में उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

**सूचना प्रस्तुत करना**

12. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराएं :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,**

**वाणिज्य विभाग,**

**कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011**

13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका अगोपनीय रूपांतरण अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

**समय सीमा**

14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें तथा इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिन के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें ।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सेटों (क) गोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ संख्या आदि) चिन्हित और (ख) दूसरा सैट अगोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ संख्या आदि) चिन्हित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' उल्लिखित होना चाहिए ।

17. किसी गोपनीय चिन्हांकन के बिना प्रस्तुत सूचना अगोपनीय मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

18. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता हेतु प्रदत्त सूचना के साथ इस आशय का एक बेहतर कारण संबंधी विवरण प्रदान करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है ।

19. अगोपनीय रूपांतरण जिस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता; तो इस आशय के कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

20. प्रस्तुत की गई सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है और सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या वह सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

21. किसी सार्थक अगोपनीय सारांश के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में बेहतर कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है । प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत इसका प्रकटन ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को नहीं करेंगे ।

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

22. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

**असहयोग**

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi , the 18th July, 2013

**Initiation**

**(1st Sunset Review)**

**Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on Digital Versatile Discs- Recordable (DVD-R and DVD-RW) from China PR, Hong Kong and Chinese Taipei**

**F.No. 15/10/2013-DGAD -** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of "Digital Versatile Discs- Recordable (DVD-R and DVD-RW)" (hereinafter refereed as the subject goods), originating in or exported from China PR, Hong Kong and Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject country).

2. WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. No. 14/17/2007-DGAD dated Nov/20/2007. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. No. 14 /17/2007-DGAD dated Jun/16/2008 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 89/2008-Customs on 23rd July 2008 The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14 /17/2007-DGAD dated Nov/19/2008, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed the Central Government vide Notification No. 8/2009-Customs dated Jan/22/2009 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

3. Whereas, Moser Baer India Limited have filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, Hong Kong and Chinese Taipei and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

**Domestic Industry**

4. The application for the sunset review has been filed by Moser Baer India Limited. This review petition has support of other known Indian producers, namely, Euro Multivision Limited and Jupiter International Limited. As per the information available, the petitioner and the supporters account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

**Product under consideration and Like Article**

5. The product under consideration, in the original as well as the present sunset review investigation, is "Digital Versatile Discs- Recordable (DVD-R and DVD-RW)", originating in or exported from China PR, Hong Kong and Chinese Taipei. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation.

**6.** The product under consideration in the present petition is "Recordable Digital Versatile Disc [DVD] of all kinds. DVD can be of a number of types, such as DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, mini DVD-R, mini DVD-RW. A DVD can be recorded once or several times. DVD-R and DVD+R discs can be either single or double-sided. A single-sided (SS) disc is composed of a recording side and a dummy side while a double-sided (DS) disc consists of two recording sides. The recording side of a DVD-R and DVD+R disc is a sandwich of a number of layers The Subject Goods are classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the said customs classifications are only indicative, and the same are not binding on the scope of the proposed investigations.

**Initiation of Sunset Review**

7. WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**Country involved**

8. The countries involved in this investigation are China PR, Hong Kong and Chinese Taipei.

**Period of Investigation**

9. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st April, 2012 to 31st March, 2013 (12 months). However, injury analysis shall cover the years as 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

**Procedure**

10. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.14/17/2007-DGAD dated Nov/19/2008.

11. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**Submission of Information**

12. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority**

**Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties**

**Ministry of Commerce and Industry**

**Department of Commerce**

**Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.**

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

14. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of information on confidential basis**

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of

the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file:**

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054